भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1946
दिनांक 11.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

जेजेएम के अंतर्गत भौतिक प्रगति

1946. श्री हनुमान बेनीवालः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत नागौर तथा डीडवाना-कुचामन जिलों तथा नागौर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्य जिलों में शत-प्रतिशत घरों में नल से जल आपूर्ति उपलब्ध कराने की निर्धारित तारीख क्या है;
(ख) सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के प्रति अब तक हुई भौतिक प्रगति का जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत पाइपलाइनों, सामग्रियों तथा कार्यों के निष्पादन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कोई निगरानी तंत्र स्थापित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) जेजेएम की शुरुआत से अब तक इससे जुड़े कामों की गुणवत्ता के बारे में सरकार को मिली शिकायतों का ब्यौरा क्या है और संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) और (ख): भारत सरकार अगस्त 2019 से देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु नल जल कनेक्शन का प्रावधान करने के लिए राजस्थान सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी से जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल कार्यान्वित कर रही है। जेजेएम के तहत प्रदान किए गए ग्रामीण क्षेत्रों में नल जल कनेक्शन की जिला-वार स्थिति पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है और जेजेएम डैशबोर्ड के माध्यम से इसे निम्न लिंक पर देखा जा सकता है:: https://ejalshakti.gov.in/jjmreport/JJMIndia.aspx

दीर्घकालिक स्थिरता और नागरिक केंद्रित जल सेवा सुपुदर्गी के लिए बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता और ग्रामीण पाइपगत जलापूर्ति योजनाओं के संचालन और रखरखाव पर ध्यान देने के साथ मिशन के निरंतर कार्यान्वयन के माध्यम से 100 प्रतिशत कवरेज प्राप्त करने के लिए, माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण 2025 के दौरान जेजेएम को संवर्धित कुल परिव्यय के साथ 2028 तक विस्तार प्रदान करने की घोषणा की थी।

(ग): कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, जेजेएम के कार्यान्वयन के लिए कार्यसंबंधी दिशानिर्देश में, भुगतान से पहले तीसरे पक्ष का निरीक्षण और प्रमाणन अनिवार्य है। इस प्रयोजन के लिए, राज्यों को एजेंसियों द्वारा निष्पादित कार्य की गुणवत्ता, निर्माण के लिए उपयोग की गई सामग्री की गुणवत्ता और प्रत्येक योजना में संस्थापित मशीनरी की गुणवत्ता की जांच करने के लिए तीसरे पक्ष की निरीक्षण एजेंसियों (टीपीआईए) को पैनल में शामिल करने का अधिकार दिया गया है।

इसके अलावा, जेजेएम के जमीनी कार्यान्वयन को सत्यापित करने के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय वॉश विशेषज्ञों और राष्ट्रीय जल जीवन मिशन (एनजेजेएम) के अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से क्षेत्र का दौरा किया जाता है, जिसमें राज्य/जिला-स्तर के अधिकारियों के साथ-साथ समुदाय के सदस्यों के साथ भी बातचीत की जाती है। अप्रैल 2025 से, राज्य क्षेत्र-स्तरीय निगरानी को मजबूत करने के लिए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) द्वारा यादृच्छिक रूप से सौंपी गई चार योजनाओं का मासिक निरीक्षण कर रहे हैं। राज्य-स्तरीय टीमें निर्माण की गुणवत्ता, समय-सीमा का अनुपालन, सेवाओं की उपलब्धता और मुद्दों के समाधान आदि का आकलन करने के लिए निरीक्षण करती हैं।

(घ): 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित आंकड़ों के अनुसार, जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत वित्तीय अनियमितताओं और कार्यों की खराब गुणवत्ता के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विभिन्न स्रोतों जैसे मीडिया रिपोर्टों, स्वत: संज्ञान लेने, जन प्रतिनिधियों, नागरिकों, शिकायत पोर्टल आदि के संदर्भ से कुल 17,036 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 621 विभागीय अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है, जिसमें आरोप पत्र तैयार करना, विभागीय जांच, अनुशासनात्मक कार्रवाई, एफआईआर दर्ज करना, कारण बताओ नोटिस जारी करना और निलंबन करना शामिल है।

*****